

9.5.16

कमीन बादी के निवेदन पर 43/1911  
 दि. 27.5.16 के ताल्लेदार अफिलोड  
 अदालत में देखा है। कमीन बादी के  
 निवेदन दि. 18.5.16 के प्रमाणों एवं  
 जमाबंदी 2028-38 में बादी कन्टेनरालान  
 की जाति लाली (आंगीड) दर्शनी है कि  
 इसके बाद की जमाबंदी लेख 2026-42  
 में जाति का अंकन नहीं किया गया है।  
 परमाणु जमाबंदी में जाति जाट दर्ज  
 हो गया इसलिए कन्टेनरालान पुत्र गणेश  
 की जाति जाट के अंकन पर (आंगीड)  
 दर्ज करने की ब्याहरी दी जाये। 4 टकाली

दाल, अगेलाली व N.T. शम्भू ने अपनी  
 निवेदन दि. 9.5.16 में आप अदेवीबाबा  
 के लेख 512, 513, 514, 515, 518/10,  
 519, 522/11 में लेख 2069-2072 की  
 जमाबंदी में कन्टेनरालान पुत्र गणेश दि. 1/9  
 जाति जाट के अंकन पर जाति लाली (आंगीड)  
 दर्ज किया गया अंकन बताया है। अतः आप  
 अदेवीबाबा के लेख 512, 513, 514,  
 515, 518/10, 519, 522/11 की वृत्तपर  
 जमाबंदी लेख 2069-72 में ताल्लेदार कन्टेनरालान  
 पुत्र गणेश दि. 1/9 की जाति जाट के अंकन  
 पर लाली (आंगीड) दर्ज किए जाने के अद्वैत  
 दिखे जाते हैं। जमाबंदी केवल थुपलु की रत  
 अंकन के अंकन है।

उपखण्ड अधिकारी, वांजाराभगद